न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 56/2013 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. बाबूलाल
2. अभयसिंह पुत्रान बेगराज
3. रोशनी
4. रामरती पुत्रियान बेगराज
5. रघुवीर पुत्र बोदन
6. ज्ञाना पुत्री बोदन
7. सुल्तान पुत्र प्रभाती
8. गिन्दोडी पुत्री प्रभाती जाति अहीरान निवासी ग्राम पाटन अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।

:——— अपीलांटस

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर ।

:——— रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), कोटकासिम
दिनांक 15.5.2013

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांटस :– श्री जनार्दन शर्मा
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 10.1.2017

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), कोटकासिम द्वारा वाद संख्या 56/13 उनवान बाबूलाल वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 15.5.2013 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत न्यायालय में वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 28 रकबा 10 बिस्वा, 27 रकबा 10 बिस्वा व 29 रकबा 1 बीघा कुल किता 3 रकबा 2 बीघा साबिक नम्बर 19 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 20 मिन रकबा 2 बिस्वा वाके ग्राम पाटन अहीर तहसील कोटकासिम है । यह आराजी वादीगण की पैत्रिक है । उनसे वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने की दिन भी हम इस आराजी पर काबिज थे । राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी का अंकन हमारे नाम हो रहा है । कानूनन हमको खातेदारी अधिकार हासिल हो गये हैं । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. बहस में विद्वान वकील अपीलांटस का कथन है कि विवादित भूमि के हक गैर खातेदार दर्ज है । तहत न्यायालय ने भूमि को कस्टोडियन माना है, जबकि प्रतिवादी की ओर से इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है । अगर भूमि को कस्टोडियन माना भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

जाता है तो हम कीमत जमा कराने को तैयार हैं । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कहना है कि विवादित भूमि कस्टोडियन है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी नहीं दी जा सकती । कस्टोडियन नियमों के तहत ही रिलीफ दी जा सकती है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । विद्वान तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में कस्टोडियन भूमि किस रिकार्ड के आधार पर मानी है, का विश्लेषण नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच की आवश्यकता है । अतः जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री दिनांक 15.5.2013 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि विवादित आराजी की बाबत विस्तृत जांच कर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 2.3.2017 को उपस्थित हों ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner